

न्यायालय श्री राजीव कुमार अवर न्यायाधीश अनुमंडलीय
व्यवहार न्यायालय गोगरी, खगड़िया
टी0एस0 65 / 2021

आदेश

08.02.2022 वादी की ओर से हाजरी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। ग्रहण बिन्दु पर सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित है कि दाखिल न्याय शुल्क यथेष्ट है एवं वाद समयानुकूल है तथा वाद में कोई तत्काल प्रत्यक्ष त्रुटि नजर नहीं आती है। अतः वाद सुनवाई हेतु ग्रहण किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु सम्मन की अपेक्षाएँ दाखिल करें तत्पश्चात कार्यालय इसे जाँचोपरान्त निर्गत करें।

वाद दिनांक वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

अवर न्यायाधीश